

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

01 मार्च, 2024 (ई०)

शुक्रवार, तिथि-

[पंचदश(बजट)सत्र]

11फाल्गुन, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री वैद्यनाथ राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (05)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (06)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०, डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (07)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) एवं (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (08)- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-2024 एवं 29-02-2024 से स्थगित)

- (09)-श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० एवं श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (10)- सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, रामचन्द्र सिंह एवं श्री सोनाराम सिंक्, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (11)- श्री केदार हजरा, स०वि०स० एवं श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (12)-डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स०, श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-24 एवं 29-02-2024 से स्थगित)
- (13)-श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स एवं श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 से स्थगित)
- (14)- श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 से स्थगित)
- (15)- श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स०, श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 से स्थगित)
- (16)- श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० एवं श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 से स्थगित)
- (17)-सर्वश्री नारायण दास, समरी लाल, एवं डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 से स्थगित)
- (18)-श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

- (19)- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० एवं डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20)- सर्वश्री मनीष जायसवाल, जय प्रकाश भाई पटेल एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (21)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (22)- डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स० एवं श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (23)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (24)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (25)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

- (26)- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(2) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), वित्त विभाग, पेंशन, वित्त अंकेक्षण, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), कोषागार एवं सांस्थिक वित्त, विधि विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग), विधान सभा, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना एवं विकास विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उद्योग विभाग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वाणिज्यकर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) तथा परिवहन विभाग पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान।

(माँग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-:विधायी-कार्य :-

-: राजकीय विधेयक :-

“ झारखण्ड विनियोग(संख्या-02)विधेयक,2024 ”

- (27)-मंत्री प्रभारी, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”
- (28)-मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29)-मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-02)विधेयक,2024 पर विचार हो।”
- (30)-मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो।”
- (31)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।


सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-07/2024-³⁰²³...../वि०स०,राँची,दिनांक-^{29/02/24}.....

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-07/2024-³⁰²³...../वि०स०,राँची,दिनांक-^{29/02/24}.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।




उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-07/2024-³⁰²³...../वि०स०,राँची,दिनांक-^{29/02/24}.....


प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण भगत/


29-02-24